

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Revision Petition No. 2567/2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द यादव

:: आदेश ::

30.1.2020

नोटिस जारी हो।

राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं।

अयाची का नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य किया जाता है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरणपोषण के क्रम में पारित आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत हुई है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशित भरणपोषण/अंतरिम भरणपोषण की राशि जमा कराये जाने बाबत कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, अतः याची को **दस हजार रुपये** की राशि अयाचीगण को न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त करने के क्रम में रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष जमा कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि याची द्वारा जमा कराने के पश्चात ही अयाचीगण को नोटिस जारी किया जाए।

उक्त राशि जमा होने पर अयाचीगण की ओर से राशि प्राप्ति के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार अयाचीगण को अदा कर दी जाए।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों व मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय, **पारिवारिक न्यायालय, बून्दी** द्वारा प्रकरण संख्या—**10/2017** में पारित आदेश दिनांक **27.9.2019** के क्रियान्वयन पर अयाची के ऐतराज को सुरक्षित रखते हुए निम्न शर्त के अधीन रोक लगाई जाती है।

1. कि **जनवरी, 2020** तक बकाया भरणपोषण की राशि की **पचास प्रतिशत** राशि (बकाया पैटे पूर्व में जमा राशि समायोजित करते हुए) इस आदेश से आगामी **एक माह** की अवधि में याची अधीनस्थ न्यायालय में जमा करायेगा/अयाची को अदा कर रसीद प्राप्त करेगा।
2. कि माह **फरवरी, 2020** से देय भरणपोषण की राशि याची द्वारा अयाची को नियमानुसार अदा की जाएगी।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति